प्रकरण संख्या 14/2020 श्रीमती कान्ता देवी बनाम लक्ष्मणलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की की कृषि आराजी नंबर 1357 रकबा 0.2500 हैक्टर राजस्व ग्राम बंजारिया में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 3/8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 5/8 हिस्सा निहित है, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, जबकि पक्षकारान अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.07.2019 को वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18.12.2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 07.02.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भारत सनाढ्य उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, न ही पत्रावली पर किसी दस्तावेज को प्रदर्श किया है तथा प्रतिवादी/अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, न ही रेस्पोन्डेन्ट/वादी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने उक्त भूमि किसी से क्रय की है अथवा पुश्तैनी है, यह अपने वाद में वर्णित नहीं किया है तथा उसका हिस्सा कहा से है यह भी अंकित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जबकि मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गयी है,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:18 IST
Reason: Self Attested

8

तहसीलदार मौके पर नहीं गये। पटवारी ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट को लाभ पहुंचाने की गरज से उसे आगे का हिस्सा दिया गया है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी को पीछे का हिस्सा दिया गया है। उक्त बंटवारा रिपोर्ट पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। फर्द बंटवारा अपीलान्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन खारिज कर दी गयी, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की आपत्ति पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनस्थ न्यायालय यदि उक्त फर्द बंटवारे पर किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो सर्वप्रथम उसका निस्तारण कर प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:18 IST
Reason: Self Attested

(प्र[illegible] [illegible]ह सांगावत)
[illegible]बन्ध अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर